संख्या—1420/71—1—2015—जी0—23/2015

प्रेषक,

राज प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0 प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग—1 लखनऊ : दिनांक 04 ~~जुलाई~~ अगस्त, 2015

विषयः— **राजकीय मेडिकल कालेजों के परिसर में अथवा उसके समीप पी0पी0पी0 माडल पर माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना/संचालन के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नवस्थापित एवं निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कालेजों में चिकित्सा शिक्षकों एवं कर्मचारियों की तैनाती किये जाने में यह पाया गया है कि मेडिकल कालेज परिसर के समीप शिक्षण संस्थान/विद्यालय उपलब्ध न होने के कारण संकाय सदस्यों एवमं कर्मचारियों को अपने बच्चों की शिक्षा में काफी कठिनाई होती है।

2— इस संबंध में प्रश्नगत कार्मिकों के बच्चों को माध्यमिक स्तर तक की गुणवत्ता युक्त शिक्षा की व्यवस्था कालेज परिसर अथवा उसके समीप ही किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त के निर्णय के कियान्वयन हेतु निम्नवत् कार्यवाही की जायेगीः—

1— नवस्थापित/स्थापनाधीन मेडिकल कालेज परिसर में अथवा उसके समीप माध्यमिक विद्यालय की स्थापना पी0पी0पी0 माडल पर किया जायेगा। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा संबंधित संस्था को 02 एकड़ भूमि लीज पर निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी। राज्य सरकार का दायित्व प्रश्नगत माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना हेतु आवश्यक भूमि लीज पर लिये जाने में निहित व्ययभार तक ही सीमित होगा तथा उक्त विद्यालयों के संचालन हेतु आवश्यक संसाधन की व्यवस्था यथा स्कूल का निर्माण, मानव--संसाधन, उपकरण, रख—रखाव आदि प्राइवेट पार्टनर के माध्यम से ही कराया जाएगा।

2— निजी क्षेत्र (पी0पी0पी0 मॉडल) द्वारा माध्यमिक विद्यालय सी0बी0एस0सी0 द्वारा मान्यता प्राप्त/पैटर्न पर संचालित किया जायेगा।

4810
FC/JD/ME
05/8/2015
Budget
O.S.I
Budget
6/8

3– विषयगत विद्यालयों की स्थापना हेतु पारदर्शी प्रकिया अपनाते हुए व्यापक प्रचार प्रसार के उपरान्त शिक्षा क्षेत्र में ख्यातिलब्ध संस्थाओं एवं इस क्षेत्र में अनुभव रखने वाले संचालको से प्रस्ताव प्राप्त कर संबंधित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा संस्था के चयन का निर्णय लिया जायेगा। उक्त समिति में संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य, मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक सदस्य होंगे।

4– उक्तानुसार स्थापित होने वाले विद्यालयो में चिकित्सा शिक्षको एवं मेडिकल कालेज के कर्मचारियों के बच्चो को प्रवेश दिया जायेगा।

5– उक्त विद्यालयों में माध्यमिक स्तर (कक्षा 6 से कक्षा 12) तक की पढ़ायी की व्यवस्था की जायेगी।

6– प्रश्नगत विद्यालयों के लिए भूमि हेतु धनराशि की व्यवस्था चिकित्सा शिक्षा विभाग के बजट में की जायेगी।

भवदीय,

(राज प्रताप सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या– (1)/71–1–15, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
4. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–3/शिक्षा अनुभाग–7/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास अनुभाग।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विकाग को इस अनुरोध सहित कि कृपया उक्त योजना का पर्याप्त प्रचार–प्रसार करने का कष्ट करें।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जय वीर सिंह)
अनु सचिव।

G.D. Gautam–